


13/5/26

पत्रावली जाप पेश हुई। वादी
व उनके वकील अनुपस्थित। न्यायालय
समय में रुक-रुक कर तीन बार
जावाब लगाई गई। आवजूस वादी
व उनके वकील गैर हाजिर रहे।
अतः पत्रावली गैर हाजिरी एवं
अडम पैरवी में खारिज की जाती है।
पत्रावली कुल शुमार दो बार दाखिल
पत्र की एक नम्बर से कम है।


सहायक कलेक्टर
(SDO) चौहटन